चित्रकूट-पुलिस

(1). 02 अन्तर्जनपदीय गांजा तस्कर गिरफ्तार
24 किलो 690 ग्राम अवैध गांजा बरामद

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी एवं उनकी टीम द्वारा 02 अंतर्जनपदीय गांजा तस्करों को 24 किलो 690 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1.ननकू यादव पुत्र स्व0 भोला प्रसाद यादव निवासी ग्राम सिकरी अमान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

2.रामजस यादव पुत्र स्व0 भोला प्रसाद यादव निवासी ग्राम सिकरी अमान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

अभियुक्त ननकू यादव का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 246/2023 धारा 08/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना कमासिन जनपद बांदा

2.मु0अ0सं0 83/2021 धारा 08/22 एनडीपीएस एक्ट थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट

3.मु0अ0सं0 252/2021 धारा 323,394,504,506 भादवि0 थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

4.मु0अ0सं0 134/2024 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

(1) 24 किलो 690 ग्राम गांजा (कीमत लगभग 7 लाख 40 हजार रुपये)

(2) बिना नम्बर की पैशन प्रो मोटरसाइकिल

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

चिल्लीमल मोड़ के पास थाना सरधुवा, जनपद चित्रकूट ,दिनाँक 28.08.2024 की सुबह समय 06:05 बजे

सक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 28.08.2024 को प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की दो गांजा तस्कर गांजा लेकर कमासिन बांदा की तरफ से राजापुर की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सरधुवा एवं उनकी टीम द्वारा चिल्लीमल मोड़ से बिना नम्बर की हीरो पैशन प्रो मोटरसाइकिल पर सवार अभियुक्तगण 1.ननकू यादव 2.रामजस यादव पुत्रगण स्व0 भोला यादव निवासी ग्राम सिकरी अमान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 24 किलो 690 ग्राम सूखा गांजा बरामद किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सरधुवा में मु0अ0सं0 134/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया तथा बरामदशुदा मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया। बरामदशुदा गांजे की कीमत लगभग 7,40,000/- रुपये है।

अभियुक्तों द्वारा पूंछतांछ में बताया कि हम लोग इस गांजे को कौशाम्बी, चित्रकूट, फतेहपुर एवं बांदा जिले के लोगों को सप्लाई करते हैं। अभियुक्त ननकू उपरोक्त के विरुद्ध जनपद बांदा के थाना कमासिन एवं चित्रकूट के थाना मानिकपुर में गांजा तस्करी के अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी

2.उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय
3.उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा
4.उ0नि0 यूटी0 श्री शिवम कन्नौजिया
5.आरक्षी शक्ति सिंह
6.आरक्षी अतुल मिश्रा
7.आरक्षी राहुल पुरी
8.आरक्षी ललित सोनी
9.आरक्षी सतीश कुमार

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जय करन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन मे थाना मऊ मे पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की घटना का 24 घण्टे के अन्दर खुलाशा करते हुये 02 चोरों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि कल दिनाँक 27.08.2024 वादी श्री शुभम मिश्रा पुत्र श्री अवधेश मिश्रा निवासी चिल्लीमाल थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट हाल पता किराये का कमरा लालता रोड कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ में सूचना दी कि उनके कमरे के सामने से अज्ञात चोरों ने उनकी मोटरसाइकिल रजि0 नं0 यूपी0 96 एल 3020 चोरी कर ली है। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 254/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक मऊ द्वारा घटना के अनावरण एवं मोटरसाइकिल की बरामदगी हेतु उ0नि0 यूटी0 श्री अभिनव प्रताप सिंह को निर्देशित किया गया। उ0नि0 यूटी0 श्री अभिनव प्रताप सिंह एवं उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनाँक 28.08.2024 को समय लगभग 10.20 बजे अहीरी पैट्रोल पम्प के पास से अभियुक्त कमलेश पुत्र शम्भू निवासी बम्बुरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट व छोटेलाल पुत्र प्राण निषाद निवासी भिटारी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को चोरी की मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स रजि0 नं0 यूपी0 96 एल 3020 के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-</u>

1.कमलेश पुत्र शम्भू निवासी बम्बुरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट
2.छोटेलाल पुत्र प्राण निषाद निवासी भिटारी थाना मऊ जनपद चित्रकूट

<u>अभियुक्तों का अपराधिक इतिहासः-</u>

<u>अभियुक्त कमलेश का अपराधिक इतिहासः-</u>

1.मु0अ0सं0 173/2016 धारा 379,411 भादवि0 थाना मऊ
2.मु0अ0सं0 80/2017 धारा 2/3 गैंगेस्ट एक्ट थाना मऊ
3.मु0अ0सं0 287/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊ
4.मु0अ0सं0 149/2020 धारा 379,411 भादवि0 थाना मऊ
5.मु0अ0सं0 33/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊ
6 मु0अ0सं0 254/2024 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना मऊ

<u>अभियुक्त छोटेलाल का अपराधिक इतिहासः-</u>

1.मु0अ0सं0 164/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊ

2.मु0अ0सं0 254/2024 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना मऊ

बरामदगीः-

चोरी की मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स रजि0 नं0 यूपी0 96 एल 3020

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 यूटी0 श्री अभिनव प्रताप सिंह थाना मऊ

2.आरक्षी राहुल पाण्डेय

3.आरक्षी अभिषेक कुमार

(3). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 28.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(4). आज दिनाँक 28.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको

से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन मे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस ने 01 वांछित व 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

(i).चौकी प्रभारी सीतापुर श्री अनिल कुमार गुप्ता तथा उनके हमराही आरक्षी नागेश, आरक्षी रविशंकर द्वारा मु0अ0सं0 421/2024 धारा 363 भादवि0 के वांछित अभियुक्त शेष कुमार पुत्र रामलाल साहू निवासी खटकाना शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
को गिरफ्तार किया गया।

(**ii).उ0नि0 श्री नीरज कुमार** तथा उनकी हमराही द्वारा मु0नं0 2990/2021 धारा 135 विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त रशीद खान पुत्र स्व0 समसुल निवासी पुरानी बाजार भैंरोपागा रोड थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
को गिरफ्तार किया गया।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी सुजीत यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर सुश्री खुशबू चन्द्रा द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत एनसीआर नं0 142/2014 धारा 427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त राजेश कुमार सिंह पुत्र हीरामणि सिंह निवासी टिकरी कोटवा कामोर थाना पनवार जिला रीवा म0प्र0 को न्यायालय उठने तक की सजा व 500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी रविप्रकाश द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश द्वारा थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 210/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त शारदा प्रसाद पुत्र श्रीपाल सिंह निवासी ग्राम घुरेटा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1200/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी रविप्रकाश द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश द्वारा थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 207/2017 धारा

60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम कौबरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1200/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।